



2026:AHC:15918

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2027 सन् 2026

पवन चौहान याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : जितेंद्र कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 4/वीरेंद्र के विरुद्ध तहसीलदार, तहसील बंसडीह/प्रतिवादी संख्या 3, जिला बलिया की अदालत में लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी। यह रिपोर्ट वाद संख्या 02837/2020 के रूप में पंजीकृत की गई थी। (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202015090602837) (रिपोर्ट लेखपाल बनाम वीरेंद्र)। उपरोक्त मामले में, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध 25.08.2025 को बेदखली का आदेश पारित किया गया था। चूंकि उपरोक्त आदेश का पालन नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने संपूर्ण समाधान दिवस पर एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अधिकारियों द्वारा 17.08.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसकी प्रति रिट याचिका के पृष्ठ 39 पर संलग्न है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इसके बावजूद, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष 03.11.2025 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति याचिका के पृष्ठ 42 पर संलग्न है।

3. इस स्थिति को देखते हुए, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता 12.02.2026 तक इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का अनुरोध करेंगे।

4. 12.02.2026 को नवीन सूची में सूचीबद्ध किया जाए।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



21 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"